

कार्यालय आयुक्त राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर



क्रमांक : एफ.1(ए)302 / संस्था / बीमा / 2010 /

965


दिनांक : 30.12.2010

आदेश


वित्त (राजस्व) विभाग के पत्रांक प. 4(6)वित्त/राजस्व/2003/लूज दिनांक 13.07.2010 के अनुसरण में दिभागीय आर्गेनाइजेशन सैटअप चार्ट के अनुमोदन के पश्चात् इस विभाग के मुख्यालय सहित साधारण बीमा योजना कार्यालय में पदस्थापित अधिकारियों को रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत तत्काल प्रभाव से इनके नाम के सम्मुख अंकित संशोधित कार्य आवंटित किया जाता है :




3




4



5




6



मुख्यालय एवं साधारण बीमा कार्यालय में पदस्थापित अधिकारियों के भ्रमण/अवकाशकाल/अनुपलब्धता में उनका कार्य उनके सम्मुख अंकित अधिकारी, लिंक अधिकारी के रूप में सम्पादित करेंगे

क्र.सं.	पदनाम	लिंक अधिकारी का पदनाम
1.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	अतिरिक्त निदेशक (प्रा.नि., एनपीएस)
2.	अतिरिक्त निदेशक (प्रा.नि., एनपीएस)	अतिरिक्त निदेशक (बीमा एवं सिस्टम्स)
3.	अतिरिक्त निदेशक (बीमा एवं सिस्टम्स)	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
4.	अतिरिक्त निदेशक (साधारण बीमा)	संयुक्त निदेशक (साधारण बीमा)
5.	संयुक्त निदेशक (प्रा.नि. एवं एनपीएस)	संयुक्त निदेशक (विधि)
6.	संयुक्त निदेशक (विधि)	संयुक्त निदेशक (प्रा.नि. एवं एनपीएस)
7.	संयुक्त निदेशक (सिस्टम्स)	संयुक्त निदेशक (सतर्कता)
8.	संयुक्त निदेशक (सतर्कता)	संयुक्त निदेशक (सिस्टम्स)
9.	संयुक्त निदेशक (साधारण बीमा)	संयुक्त निदेशक (मेडिकलेम)
10.	संयुक्त निदेशक (मेडिकलेम)	संयुक्त निदेशक (साधारण बीमा)
11.	उप निदेशक (सामान्य प्रशासन)	उप निदेशक (संस्थापन)
12.	उप निदेशक (संस्थापन)	उप निदेशक (बीमा)
13.	उप निदेशक (बीमा)	उप निदेशक (प्रावधानी निधि)
14.	उप निदेशक (प्रावधानी निधि)	उप निदेशक (सीआरएस)
15.	उप निदेशक (सी.आर.एस)	उप निदेशक (सिस्टम)
16.	उप निदेशक (सिस्टम)	उप निदेशक (एनपीएस)
17.	उप निदेशक (एनपीएस)	उप निदेशक (सामान्य प्रशासन)
18.	उप निदेशक (साधारण बीमा)	उप निदेशक (जीपीए)
19.	उप निदेशक (जीपीए)	उप निदेशक (साधारण बीमा)
20.	सहायक निदेशक (सिस्टम)	सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन)
21.	सहायक निदेशक (सा.प्र.)	सहायक निदेशक (सिस्टम)
22.	सहायक निदेशक (विधि-1)	सहायक निदेशक (विधि-2)
23.	सहायक निदेशक (विधि-2)	सहायक निदेशक (विधि-1)
24.	सहायक निदेशक (साधारण बीमा)	सहायक निदेशक (मेडिकलेम)
25.	सहायक निदेशक (मेडिकलेम)	सहायक निदेशक (साधारण बीमा)
26.	सहायक निदेशक (विधि-साधारण बीमा)	सहायक निदेशक (मेडिकलेम)
27.	मुख्यलेखाधिकारी	लेखाधिकारी
28.	सहायक विधि परामर्शी	विधि सहायक
29.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	सहायक निदेशक (सिस्टम)

1. उपर्युक्त विभागीय आर्गेनाइजेशन सैटअप में संबंधित संयुक्त/उप/सहायक निदेशक रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत सीधे ही क्रमशः संबंधित अतिरिक्त/संयुक्त/उपनिदेशक को रिपोर्ट करेंगे ।
2. विभागीय आर्गेनाइजेशन सैटअप के अनुरूप संबंधित संयुक्त/उपनिदेशक सीधे ही अतिरिक्त निदेशक को रिपोर्ट करेंगे। संयुक्त एवम् उपनिदेशक के बीच कार्य का आवंटन संबंधित अतिरिक्त निदेशक अपने स्तर पर कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रति प्रेषित करेंगे ।
3. जिस आर्गेनाइजेशन सैटअप में विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारी है, वे सैटअप चार्ट के अनुसार ही कार्य संपादित करेंगे ।
4. सम्बन्धित अतिरिक्त/संयुक्त निदेशकों द्वारा प्रेषित रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत ही सम्बन्धित अधिकारी कार्य का निस्तारण करेंगे ।
5. उपर्युक्त लिंक अधिकारी अपने कार्य के अतिरिक्त उक्तानुसार कार्य सम्पादित करेंगे एवं अन्य अधिकारियों की अनुपस्थिति में उनके अग्रिम लिंक अधिकारी कार्य सम्पादित करेंगे ।


 - 30/12/10.
 (रमेश के. जैन)


आयुक्त
 राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
 राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)302/ संस्था/बीमा/2010/ 19337-460

दिनांक : 30-12-2010

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सहायक, आयुक्त महोदय मुख्यालय जयपुर
2. समस्त अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, मुख्यालय/साधारण बीमा जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, संभागीय कार्यालय
4. मुख्यलेखाधिकारी/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/सहायक विधि परामर्शी/लेखाधिकारी मुख्यालय जयपुर ।
5. उप/सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला कार्यालय
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यालय, जयपुर को विभाग की वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु ।
7. सम्बन्धित अधिकारी/कैडर स्ट्रेन्थ लिपिक/रक्षित पत्रावली ।


 उप निदेशक (संस्थापन)
 राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
 राजस्थान जयपुर